न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

1– अपील संख्या 87 / 2017

भागसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति सैनी निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
2. रामकुमार पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी चक 4 बीकेएसएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । ——रेस्पोंडेन्ट्स

2– अपील संख्या 89 / 2017

रामकुमार पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी चक 4 बीकेएसएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. भागसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति सैनी निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956
विरूद्ध आदेश अति.कलेक्टर सूरतगढ दिनांक 09.08.2017

उपस्थितः–

श्री सोमप्रकाश शर्मा अभिभाषक भागसिंह

श्री सुरेन्द्र सुथार अभिभाषक रामकुमार

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.12.2017

27/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रामकुमार द्वारा राज.उपनि. अधि. की धारा 11/14 के तहत एक प्रा.पत्र अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ को पेश कर निवेदन किया कि चक 4 बीकेएसएम के प.नं. 96/1 के कि.नं. 6, 14 से 19, 22 से 25 की 11 बीघा व प.नं. 161/451 के कि.नं. 1 से 4 , 7 से 13, 18 से 22 की 16 बीघा कुल 27 बीघा भूमि अप्रार्थी भागसिंह ने सरकारी कर्मचारियों से मिलीभगत कर आवंटन करवायी है। अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्य पेश कर आवंटन करवाया है। अतः उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाए।

प्रा.पत्र का जबाब अप्रार्थी भागसिंह ने पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को जरिये लॉटरी किया गया था। अप्रार्थी द्वारा किश्तों की राशि जमा करवा दी है। नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अति.कलक्टर सूरतगढ ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 09.08.2017 को प्रा.पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चक 4 बीकेएसएम के प.नं. 96/1 के कि.नं. 6, 14 से 19, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 की 2.683है0 भूमि का आवंटन कब्जा नहीं होने से खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध भागसिंह ने अपील इस आधार पर पेश की है कि जो आवंटन खारिज किया गया है वह गलत है एवं रामकुमार ने अपील इस आधार पर पेश की है कि समस्त 27 बीघा भूमि का आवंटन खारिज होना चाहिए। दोनों ही अपीलें एक ही आदेश की होने से एवं उभयपक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील सं. 87/2017 ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को भूमिहीन काश्तकार जी श्रेणी का मानते हुए 27 बीघा भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया था। रेस्पों. रामकुमार द्वारा गलत तथ्य पेश कर शिकायत प्रा.पत्र पेश किया है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है जबकि प्रा.पत्र खारिज किये जाने योग्य था। अतः निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं रेस्पों. रामकुमार द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

27/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट रामकुमार ने अपनी बहस में कथन किया कि अर्थी रामकुमार ने शिकायत प्रा.पत्र पेश कर शिकायत को पूर्ण रूप से साबित किया था। अधी. न्यायालय ने समस्त 27 बीघा भूमि खारिज नहीं करने में विधिक भूल की है। अतः रामकुमार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे एवं भागसिंह की अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील सं. 87/2017 भागसिंह बनाम सरकार व अपील सं. 89/2017 रामकुमार बनाम भागसिंह आदि एक ही आदेश अधी. अति.कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 09.08.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें आवंटी भागसिंह का कब्जा नहीं होने से उसका आवंटन खारिज किया गया है जिसमें अपीलांट भागसिंह द्वारा उपनि.अधि. की धारा 11 पठित धारा 14 में आवंटन खारिजी का आधार कब्जा न होना नहीं होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है, वही अपीलांट रामकुमार द्वारा निर्णय दिनांक 09.08.2017 में प्रा.पत्र आशिंक स्वीकार करने की बजाए पूर्णरूपेण स्वीकार का अनुतोष चाह कर निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय का निर्णय राज.उपनि.अधि.1954 की धारा 11 की जांच का निस्तारण धारा 14 में आवंटी भागसिंह की आवंटित भूमि का आवंटन रद्द कर दिया है। धारा 11 की शिकायत में दर्ज किया है कि आवंटी भागसिंह के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 4 बीकेएसएम के प.नं. 96/1 के कि.नं. 6, 14 से 19, 22 से 25 की 11 बीघा अनकमाण्ड व प.नं. 161/451 के कि.नं. 1 से 4, 7 से 13, 18 से 22 की 16 बीघा अनकमाण्ड कुल 27 बीघा भूमि दिनांक 18.05.1982 को पुख्ता आवंटन है जो अप्रार्थी द्वारा सरकारी मशीनरी से मिलीभगत कर एवं आवंटन नियमों का उल्लंघन करते हुए व तथ्यों को छुपाते हुए आवंटन करवाया है जो गलत एवं गैर कानूनी है एवं अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रा.पत्र में आवंटन खारिज करने का निवेदन किया।

आवंटी भागसिंह के अभिभाषक द्वारा अपनी लिखित बहस में जाहिर किया कि शिकायत धारा 11–14 उप.अधि. 1954 के तहत तथ्यों को छुपाकर गलत साक्ष्यों

27/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पर आवंटन करवाने पर ही लागू होते हैं जबकि अप्रार्थी/आवंटी भागसिंह भूमिहीन काश्तकारी पेशा , सदभावी निवासी तथा भूमि आवंटन करवाने हेतु सक्षम होने के कारण पूर्ण जांच पश्चात आवंटन अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति की राय से दिनांक 18.05.1982 को भूमि लॉटरी द्वारा कीमतन पुख्ता आवंटित कर कब्जा लेने हेतु अधिकृत किया था। आवंटी ने कब्जा लेकर काश्त करते हुए सम्पूर्ण कब्जा किश्त राशि खजाना राज में जमा करवायी है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार है। कोई तथ्य छुपाया नहीं है और न ही शिकायतकर्ता द्वारा तथ्य छुपाने का हवाला दिया गया है। चुंकि भूमि अनकमाण्ड व केवल मात्र बारिस आधारित खेती होती है। उस अवस्था में आवंटी बरसात होने पर सावणी फसल अपनी देखरेख में काश्त करवाता रहा है। नियमों की पूर्णता पालना की गई है। उत्तदवादी रामकुमार के अभिभाषक द्वारा शिकायत के बिन्दुओं को ही दोहराया।

अपीलाधीन आदेश के विधिक परीक्षण हेतु राज.उप.अधि. 1954 की धारा 11 व 14 का अध्ययन किया जिसकी Bare reading है कि धारा 11- False information by the tenant.- If any person who, after the commencement of this Act, has been put in possession of land ina colony as a tenant, shall have given false information intending or having reason to believe that any officer of the State Government may be thereby deceived rerarding his qualifications to become a tenant, he shall be deemed to have committed a breach of the conditions of his tenancy व धारा 14. Penalty for breach of conditions.- When the Collector is satisfied that a tenant in possession of land in a colony has committed a breach of the conditions of his tenancy , he may, after giving the tenant an opportunity to appear and state his objection ,-

(i) impose on the tenant a penalty not exceeding [two thousand rupees,]
or
(ii) order the resumption of the tenancy.

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में किन तथ्यों को छिपाया जाहिर नहीं किया न ही अधी. न्यायालय द्वारा काश्तकार द्वारा क्या मिथ्या सूचना दी है विवेचित किया। निर्णय में आवंटी भागसिंह के आरजी काश्तकार के आदेश बाबत कोई विवेचन नहीं हुआ है जबकि अपीलांट अभिभाषक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.आर. डी. 1993 ब्रजलाल बनाम बोर्ड आफ रेवन्यू ने अपने निर्णय के पैरा सं. 3 में held

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किया है कि On the date when the appellant applied for permanent allotment, he was holding the temporary allotment. If the appellant had procured temporary allotment by giving false declaration regarding age then the proceeding for cancelling temporary allotment should have been undertaken. The temporary lease of the appellant was never cancelled. The appellant being temporary cultivation lease holder, the permanent allotment cannot be denied to him under the rules. अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत आर.आर.डी. 1994 पेज 595 रिवीजन नं. 39 व 40 बीकानेर/88 माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.10.1993 के पेरा सं. 3 में held किया है कि भिन्न प्रकरणों में धारा 11 पठित 14 लागू नहीं होगी यथा :–

(1) आवंटी भूमि पर रह नहीं रहा है। (2) प्रार्थी/आवंटी भूमि पर Personally काश्त नहीं कर रहा है। (3) आवंटी द्वारा भूमि sub-let की हो (4) आवंटी द्वारा भूमि पर water course नहीं बनाया हो।

यह न्याय सिद्धांत प्रकरण हाजा पर चस्पा होना जाहिर किया।

अपील सं. 89/2017 के सम्बन्ध में अपील सं. 87/2017 के अभिभाषक अपीलांट द्वारा यह न्याय सिद्धांत पेश किया है कि शिकायतकर्ता अपीलांट नहीं बन सकता, सन्दर्भ न्याय सिद्धांत इसी जिले श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होकर आर.आर. डी. 1995 पेज 173 अपील सं. 19 गंगानगर हनुमानसिंह वगैरह बनाम जगदीशचन्द वगैरह में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की Larger Bench का निर्णय दिनांक 01.12.1994 में Held किया है कि Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural purposes) Rules, 1970 , Rule 14(4) – A person aggrieved by an allotment order should seek remedy by way of appeal u/s 75 of the Rajasthan Land Revenue Act- Cancellation of allotment under Rule 14(4) is a matter between the allottee and the State- The status of an applicant who seeks cancellation of an allotment is that of an informer or complainant and not of a party to the proceedings- He may be heard by the Collector but only for the limited pupose of effective disposal of his application- In the event of cancellation of the allotment, the only aggrieved party is the allottee who can seek redress by way of appeal- The applicant 9 Complainant) is not a necessary party to the appeal as no relief is sought against him but if he is

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

joined as a respondent in the appeal by way of abundant caution, it does not confer on him any right to countinue the litigation in second appeal- If the allotment is restored in appeal, the State Govt. alone will be the aggrieved party which may, if it so desires, go in second appeal- Therefore, where the order of cancellation of allotment passed by the Collector is reversed in an appeal filed by the allottee, the applicant (complainant) can in no case file a second appeal. यह न्याय सिद्धांत राज. भू–राजस्व अधि. के तहत बने आवंटन नियमों से सम्बन्धित है एवं राज.उप.अधि. 1954 की धारा 5 के अनुसार भू–राजस्व अधि. के प्रावधान उपनिवेशन अधि. पर Applicable होने से यह न्याय सिद्धांत प्रकरण हाजा पर चस्पा होना जाहिर किया।

आवंटी भागसिंह द्वारा आवंटित भूमि बटाई पर (sub-let) करने के आक्षेप के सम्बन्ध में न्याय सिद्धांत आर.आर.डी. 1986 पेज 565 रामचन्द्र बनाम सरकार में माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 02.06.1986 में held किया है कि cultivation on Batai deemed as cultivated personally .

पत्रावली का अवलोकन करने, उपलब्ध रिकार्ड, शिकायत, जांच निस्तारण (निर्णय) उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने एवं प्रस्तुत न्याय सिद्धांतों का अध्ययन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि भागसिंह का आवंटित भूमि पर कब्जा न होना दर्शाकर धारा 11 की परिधि में नहीं आने तथा Subsequent धारा 14 में आवंटन निरस्ती कर विधिसम्मत नहीं होने से अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.08.2017 अपास्त किया जाता है। अपील सं. 87/2017 स्वीकार की जाती है तथा आवंटन व आवंटन निरस्तीकरण आवंटी व सरकार के मध्य का बिन्दु होकर अपील सं. 89/2017 के अपीलांट रामकुमार की कोई Legal locus- standai नहीं होने से अपील सं. 89/2017 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर